उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-68/2016/940/26-3-2016-4(266)/2005
संख्या लखनऊ दिनांकः 31 मार्च, 2016

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-25/2015/1043/26-3-2015-10(28)/1999 दिनांक-13.04.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-108.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0-54.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- शासनादेशसंख्या-41/2015/1079/26-3-2015-4(266)/2005,दि0-12.05.2015द्वारा उक्त योजनान्तर्गत टंकणीय त्रृटिवश रूपया-54.00 लाख की स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में पुनः निर्गत हो गयी है, जिसे प्रथम किश्त के स्थान पर द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृति निर्गत समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक-12.05.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0सं0-68/2016/940(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।